

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
नवलगढ़ (जिला झुझुनू) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा० पत्र संख्या :- 79/2023
जीसीएमएस नं. :- 2023/304

प्राथी	वनाम	अप्रार्थी
1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच, पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु : 31.07.2023

उपस्थित:-

1. श्री सज्जन कुमार चाहर, अधिवक्ता प्रार्थी
2. राजपैरोकार, तहसीलदार, नवलगढ़।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 11.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम चारण की ढाणी, पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में जमीन खाता सं. नया 98 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 423 रकबा 1.09 है, खसरा नं. 424 रकबा 1.10 है 0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 है 0 भूमि अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/120 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्योराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच है। प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त राजस्व भूमि की जमाबन्दी प्राप्त करने पर पता चला की उसका राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज है। यह है कि प्रार्थी के शिक्षा के दस्तावेज, पेनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही/सहवन के कारण गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को है एवम् प्रा. पत्र 2/- कोर्ट फीस पर पेश किया गया है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मौजा-चारण की ढाणी पटवार हल्का-पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी (वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता सं. 98(पुराना 95) के खसरा सं. 423 रकबा 1.0900

हैक्टियर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा सं. 424 रकबा 1.1000 हैक्टियर किस्म बारानी द्वितीय कुल किता 2 रकबा 2.1900 हैक्टियर में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्योराम के स्थान पर वास्तविक/सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एंवम् राज. पैरो. तहसीलदार नवलगढ़ से उपर्युक्त प्रकरण मे आवश्यक रिपोर्ट के लिये न्यायालय हाजा द्वारा तहरीर जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./1867 दिनांक 10.10.2023 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में आवश्यक रिपोर्ट प्रेषित की, जिसे सामिल पत्रावली किया गया।

हमने विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तार पूर्वक सुना तथा उस पर मनन किया, साथ ही हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, अन्य संलग्न दस्तावेजात एंवम् तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया। तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड ग्राम चारण की ढाणी, पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद मे जमीन खाता सं. नया 98 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 423 रकबा 1.09 है0, खसरा नं. 424 रकबा 1.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 है0 भूमि के रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्योराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच सही दर्ज किया जाना उचित व प्रस्तावित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा राजस्व ग्राम चारण की ढाणी, पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद मे जमीन खाता सं. नया 98 पुराना 95 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 423 रकबा 1.09 है0, खसरा नं. 424 रकबा 1.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 है0 भूमि के रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्योराम के स्थान पर दुरुस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम माहिच सही दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू.अ. अधिकारी, नवलगढ़
(जिला-झुझुनूर)